



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-208/2026/1463/22-2-2024-17(441)/2020
लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी पूरन (बन्दी सं0-650/2022) पुत्र श्री शिव नारायण, गुजेनी, थाना-मर्का, जनपद-बांदा का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या- 74/1983, धारा-302/149, 325/149, 323/149, 147 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बाँदा के आदेश दिनांक 02.02.1984 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.07.2017 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 30.12.2023 अपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 05 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बांदा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-208/2026/1463(1)/22-2-2024 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
- 3- पुलिस अधीक्षक, बांदा।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।